

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

(1970 के संसदीय अधिनियम संख्या 16 द्वारा स्थापित)

विज्ञप्ति

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाइज निम्न प्रकार से है:-

S. No	Apprentices Trade	No. of Apprentices
1	Carpenter	29
2	COPA	69
3	Draughtsman (Architectural)	2
4	Draftsman Civil	8
5	Dress Maker	2
6	Electrician	53
7	Electronics Mechanic	2
8	Fitter	8
9	Food Production (general)	5
10	Health Sanitary Inspector	2
11	Interior Designer and Decorator	2
12	Instrument mechanic	1
13	Mechanic Motor Vehicle	1
14	Mechanic Tractor	5
15	Mechanic Agricultural Machinery	7
16	Mechanic Diesel	7
17	Painter General	27
18	Plumber	15
19	Mechanic Refrigeration and Air Conditioning	9
20	Sewing Technology	2
21	Stenographer (English)	67
22	Stenographer (Hindi)	29
23	Surveyor	7
24	Turner	1
25	Welder (Gas and Electric)	17
	Total	377

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट (apprenticeshipindia.org) पर दिनांक 01.09.2026 से 13.09.2026 को दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी. (केवल वोटर कार्ड, डी. एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई.टी. आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करे। कृपया अपनी शिक्षुता प्रोफाइल को 100% पूर्ण करे, अन्यथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01.09.2026 से पहले या दिनांक 13.09.2026 के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है, वे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। उम्मीदवार को कार्यालय में कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सफल शिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

Controlling Officer (App)

सी.सी.एस.एच.ए.यू., हिसार